

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

18/04/2025 23:58 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days

Date from (दिनांक से):

01/01/2014

Date To (दिनांक तक):

01/01/2015

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00
hrs

Time To (समय तक):
00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):**

Date (दिनांक): 18/04/2025

Time (समय): 21:05
hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016

Date and Time (दिनांक और समय):
18/04/2025 21:25
hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence**

(घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 110 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** SI SANJAY KUMAR A 160

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 08/07/1978 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	UNIT ACB YNR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	UNIT ACB YNR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9996957752

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी Haryana Power Generation Corporation Ltd. HPGCL			1. SECTOR 6 PANCHKULA, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लांट			1. यमुनानगर, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
3	अवैध लाभार्थियों			1. यमुनानगर, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है
सेवा मे,

प्रबन्धक थाना,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पंचकूला मण्डल, पंचकूला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रारम्भिक जांच क्रमांक 01 दिनांक 03.04.2024 यमुनानगर, माननीय पंजाब एव हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 06.03.2024 को CWP-937-2024 SANJAY KUMAR VS STATE OF HARYANA AND OTHERS में जारी आदेशों की पालना में Superintendent (Writs) of Assistant Registrar (Writs) Hon'ble High Court Punjab Haryana Chandigarh के पत्र क्रमांक 2681 (W-3/Writs) दिनांक 27.03.2024, एवं कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 8487/1-1/ACB(H) दिनांक 03.04.2024 के अनुसार अंकित की गई थी। जिसमें यह आरोप था, कि "जिला यमुनानगर, हरियाणा में दीन बन्धू छोदू राम थर्मल प्लांट का निर्माण करने के लिए वर्ष 1983 से 1986 वा 2006 से 2009 तक भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जो उपरोक्त अधिग्रहण की गई भूमि के सम्बन्ध मे वर्ष 2014 की Rehabilitation and Resettlement Policy के अन्तर्गत, उस भू-मालिक (LAND OUSTEES) जिसकी कम से कम 02 एकड़ या 02 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण हुई थी, परिवार के एक सदस्य को Group-C या Group D के पद पर योग्यता के आधार पर नौकरी दी जानी थी। दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त Policy के अन्तर्गत भू-मालिक के 01 पारिवारिक सदस्य को नौकरी दी गई है, क्या दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर द्वारा उपरोक्त नौकरियों नियमानुसार दी गई है ? इस बारे जांच की जानी है।

जांच उपरोक्त की पड़ताल श्री कुशल सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, पंचकूला मण्डल पंचकूला द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया है, कि "दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लान्ट यमुनानगर (DCRTPP YNR) के निर्माण के लिए वर्ष 1983 से वर्ष 2009 में जिला यमुनानगर हरियाणा के 15 गांवों से 728 भू-मालिकों की 1122.62 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (कोड नं. 2386) दिनांक 07.10.2007 के अनुसार भूमि अधिग्रहण होने वाले भू-मालिक के परिवार के 01 सदस्य को राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ जिला हिसार (RGTPP) में नौकरी दिए जाने का प्रावधान था। जिसकी Policy निम्नप्रकार थी:- "one family member whether son, daughter, daughter in law or grand-son/grand-daughter (pota/poti) would be provided a job. For maternal grand-children (dohata/dohati) the job will be provided if the person lives in village Khedar as verified through Deputy Commissioner Hisar." इसी प्रकार दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के लिए अधिग्रहण की गई भूमि में जिस भू-मालिक की कम से कम 2 एकड़ या 2 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण हुई थी, उस भू-मालिक के परिवार से 1 सदस्य को Group-C/D की Post पर नियुक्ति दी जाने बारे Policy अनुमोदित की गई थी।

इस सम्बन्ध मे प्रधान सचिव हरियाणा सरकार उर्जा विभाग द्वारा दिनांक

16.08.2014 को जारी किए गए MEMORANDUM के Para No. 2.1 मे दर्शाया हुआ है कि "As brought above, Hon'ble CM, Haryana had approved to follow the Policy for employment to the land oustees which was followed in the case of RGTPP (Rajiv Gandhi Thermal Power Plant, Khedar, Hisar, Haryana).

It is brought out that in case of IGSTPP (Indira Gandhi Super Thermal Power Plant, Jhajjar, Haryana) policy for employment to the land oustees was followed on the pattern of RGTPP (Rajiv Gandhi Thermal Power Plant, Khedar, Hisar, Haryana) but with some modifications were made as per recommendations of MDs of HPUS so that services of land oustees are utilized in a better way. As such following policy is recommended which is same as was applicable in case of IGSTPP:-

To provide employment to the applicants who are Son, Daughter, Wife Daughter-in-Law, Grandsons/Grand Daughters (Pota, Poti). Nephew (Bhatija) and maternal grandchildren (Dhota/ Dhoti) etc.-

The employment to the underage i.e. below 18 years age, applicants will be provided as per their qualifications after they attain the age of 18 years.

The applicants who are graduate with less than 60% marks, would be adjusted against the post of LDC in relaxation of % age of marks.

The applicants who are illiterate / under middle /under matric, would be adjusted against the post of Peon /Helper in relaxation of qualification.

To provide employment to the applicants who are over-age i.e above 40 years in relaxation of age.

To provide suitable employment to the applicants who are Diploma or ITI under relaxation for trade / stream of ITI course and percentage of marks for making them eligible for adjustment in the respective utility."

जांच के दौरान दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लान्ट यमुनानगर निर्माण के लिए जिन भू-मालिकों की भूमि कम से कम 2 एकड़ या 2 एकड़ से अधिक अधिग्रहण की गई थी. कुल 135 भू-मालिकों की सूची में से कुल 22 ऐसे भू-मालिक पाए गए हैं, जिनके द्वारा भूमि अर्जन के सम्बन्ध में उपरोक्त Policy के अनुरूप नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार उपरोक्त कुल 135 भू-मालिकों में से, कुल 09 भू-मालिकों के पारिवारिक सदस्यों के बीच उपरोक्त Policy के अन्तर्गत 01 सदस्य को नौकरी लेने बारे में आपसी विवाद / Court Case होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई है।

Haryana Power Generation Corporation Ltd. (HPGCL) से प्राप्त रिकार्ड अनुसार कुल 135 भू-मालिकों में से उपरोक्त (229 31) के अतिरिक्त कुल 104 भू-मालिकों के परिवार के सदस्यों को Group C/D की Post के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाने पाए गए हैं। इन भू-मालिकों में से एक भू-मालिक रफीक अहमद पुत्र पीर बख्श गाँव लापरा, जिला यमुनानगर में अधिग्रहण की हुई भूमि 34 कनाल 02 मरले के बदले उसके पुत्र इरफान खान द्वारा दिनांक 23.06.2014 को आवेदन किया गया था। जिसको दिनांक 17.08.2014 को नियुक्ति दी हुई थी। इस भू-मालिक रफीक अहमद पुत्र पीर बख्श गाँव महमुदपुर, जिला यमुनानगर में भी अधिग्रहण की हुई भूमि 19 कनाल 13 मरले के बदले, उसके पोते तोयब पुत्र मकसूद अली द्वारा दिनांक 17.07.2014 को आवेदन किया गया था। जिसको भी दिनांक 17.08.2014 को नियुक्ति दी गई थी। परन्तु उपरोक्त Policy अनुसार भू-मालिक के परिवार से एक सदस्य को ही नौकरी दिए जाने के नियम होने के कारण इस आवेदक तोयब पुत्र मकसूद अली द्वारा दिनांक 22.08.2014 को अपने नियुक्ति आदेश दिनांक 17.08.2014 को रद्द करने के लिए आवेदन किया जाना पाया गया है। जिसको विभाग द्वारा दिनांक 01.09.2014 को स्वीकार किया हुआ है।

शेष कुल 103 भूमि मालिकों के सम्बन्ध में, उनके परिवार से 01 सदस्य को उपरोक्त Policy के अन्तर्गत नियुक्ति दिए जाने बारे स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई है कि:-

क) कुल 83 भूमि मालिकों के परिवार में से उपरोक्त Policy के अन्तर्गत 01 पारिवारिक सदस्य को नियमानुसार नियुक्ति दी जानी पाई गई है।

ख) 12 भू-मालिक, 06 समान परिवारों से सम्बन्धित होने पाए गए हैं। इसलिए इन 06 समान परिवारों के प्रत्येक परिवार से 02 सदस्यों को Group-C/D की Post पर नियुक्ति दी जानी पाई गई है। परन्तु 12 भू-मालिकों की अधिग्रहण की गई भूमि के बदले केवल 01 पारिवारिक सदस्य को ही नियुक्ति दी गई है। इन 06 परिवारों में से नियुक्ति प्राप्त करने वाले 12 आवेदकों को दी गई नियुक्तियों उनके पिता, दादा, दादी के नाम से अलग-अलग अधिग्रहित की गई भूमि कम से कम 2 एकड़ या 2 एकड़ से अधिक अधिग्रहण होने पर दी जानी पाई गई है।

इसके अतिरिक्त शेष कुल 08 भू-मालिकों के परिवार में से नियुक्ति पाने वाले आवेदक का पारिवारिक रिश्ता (पड़पोता, पड़दोहता, पोते की पत्नी) का होने पर नियुक्ति दी जानी पाई गई है। जो उपरोक्त Policy के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है।

जांच की अंतिम रिपोर्ट को शपथ पत्र दिनांक 18.07.2024 के अनुसार माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में जमा करवाया गया था। कार्यालय मुख्य सचिव

चौकसी विभाग हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 47/07/2025-3VII दिनांक 03.04.2025 के अनुसार, माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा CWP-937 of 2024 में दिनांक 05.03.2025 को पारित आदेशों की अनुपालना में यह आदेश प्राप्त हुए थे, कि "You are requested to conduct a criminal probe into the matter to ascertain how and under what circumstances multiple members of the same family applied for and secured government jobs in six identified cases." इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की अंतिम रिपोर्ट पर निर्णय लेने हेतु अंतिम रिपोर्ट की प्रतियां रिकार्ड सहित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 6485/आई-1/भ्र.नि.ब्यूरो. (ह.) दिनांक 15.04.2025 के अनुसार मुख्य सचिव चौकसी विभाग हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जो मुख्य सचिव चौकसी विभाग हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 47/07/2025-3VII दिनांक 18.04.2025 व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 6748/आई-1/भ्र.नि.ब्यूरो. (ह.) दिनांक 18.04.2025 के अनुसार अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। जिनकी अनुपालना में तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी, Haryana Power Generation Corporation Ltd. (HPGCL), अधिकारी/कर्मचारी दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर, द्वारा विभाग की Rehabilitation and Resettlement Policy का गलत इस्तेमाल करके तथा अवैध लाभार्थियों से मिलीभगत करके अवैध नियुक्तियाँ देकर उस समय प्रचलित कानून अपराध 420, 120-B IPC व 13(1) (d) r/w 13(2) PC Act, 1988 के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्यता अपराध किया है। इसलिए दीन बन्धू छोदू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के लिए अधिग्रहण की गई भूमि में Rehabilitation and Resettlement Policy के गलत इस्तेमाल करके नियुक्ति प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों एवं नियुक्ति प्रदान करने वाले HPGCL तथा DCRTTP के तत्कालीन अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने हेतु लेख तैयार करके आपके पास भेजा जा रहा है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां ईमेल के माध्यम से स्पेशल यमुनानगर वा उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जाए। अभियोग की पुलिस फाइल व असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए उच्च अधिकारीगण के आदेशानुसार सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी को दी जाए। अज- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला SD संजय कुमार 160/A (संजय कुमार) उप निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर दिनांक 18.04.2025 AT 9.05 PM अज- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला SD संजय कुमार 160/A (संजय कुमार) उप निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र यमुनानगर दिनांक 18.04.2025 AT 9.05 PM अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 03 दिनांक 18.04.2025 धारा 420, 120-B IPC व 13(1) (d) r/w 13(2) PC Act, 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजिस्ट्रेट साहब, जगाधरी, जिला यमुनानगर व उच्च अधिकारियों की सेवा में भेजी जा रही है अभियोग की पुलिस फाइल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**
- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** sanjay kumar **Rank (पद):** Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
No. (सं.): 487Ynr **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**
- (3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or **(के कारण इंकार किया या)**
- (4) **Transferred to P.S. (थाना):** District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manisha Choudhary

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Unknown	1980				Is pox pitted: Yes
2	Unknown	1980				Is pox pitted: Yes
3	Unknown	1980				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)